Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **श्रीगंगानगर में ग्राम पंचायत का कनिष्ठ सहायक 5 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

जयपुर, *21 जनवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की श्रीगंगानगर इकाई द्वारा आज शुक्रवार को कार्यवाही करते हुये ब्रजलाल कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत 2एस.डी. (संगीता), तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर को परिवादी से 5 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की श्रीगंगानगर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि श्रमिकों का मस्टरोल जारी करने की एवज में ब्रजलाल कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत 2एस.डी. (संगीता), तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर द्वारा 6–7 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी श्रीगंगानगर के **उप अधीक्षक पुलिस श्री भूपेन्द्र सोनी** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये ब्रजलाल पुत्र श्री खीयाराम निवासी ग्राम जानकीदासवाला (चक 11 एस.डी.) तहसील सूरतगढ़, श्री गंगानगर हाल कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत 2एस.डी. (संगीता), तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर को परिवादी से 5 **हजार रूपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।